



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय चोपन

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA CHOPAN

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA
E.mail : kvchopan@gmail.com Website : www.chopan.kvs.ac.in
District – Sonbhadra (UP) 231205, Phone ☎ 05445-297429



CBSE AFFILIATION NO-2100086.

SCHOOL CODE-74114

फा.सं.431818/084/के.वि.चोपन/2026-27/

दिनांक: 21.10.2026

नीलामी सूचना

केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के पत्र संख्या पत्रांक फा.सं. 43084/क्षे.का. वाराणसी /2025-26/56-57 दिनांक 02.04.2026 के अनुमोदन के उपरांत प्राचार्य, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय चोपन की ओर से “जैसा है जहाँ है”: के आधार पर संस्थान में उपलब्ध अनुपयोग्य सामग्री **Computer Lab Related Articles** की नीलामी दिनांक 28.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे प्राचार्य कक्ष में की जानी है।

खुली बोली में भाग लेने के इच्छुक निविदाता उक्त नीलामी में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकते हैं:

पात्रता संबंधी शर्तें :

1. बोलीदाता पिछले तीन वर्षों से यह कार्य कर रहे हों।
2. बोलीदाता की वित्तीय स्थिति बेहतर होनी चाहिए।
3. जी.एस.टी. नंबर / पंजीकरण प्रमाण पत्र
4. E-waste प्रमाण पत्र

नीलामी की शर्तें :

1. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बोली लगाने से पहले सामग्रियों का भौतिक रूप से निरीक्षण अवश्य कर लें, भौतिक निरीक्षण के लिए इच्छुक बोलीदाता दिनांक 28.10.2026 पूर्वाह्न 9:00 बजे से 10:00 बजे के मध्य नीलामी की जाने वाली सामग्री का भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं।
2. सफल उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को सामग्री – “जैसे है जहाँ है” के आधार पर दी जाएगी।
3. किसी भी प्रकार के कर जो लागू हो का भुगतान भी अतिरिक्त देय होगा।
4. सामग्री की नीलामी की धनराशि संस्थान के खाते में जमा करने के उपरांत ही ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नीलामी की धनराशि जमा करने के 07 दिनों में नीलामी की गयी सामग्री को ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा किसी स्थिति में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. सफल उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की सामग्रियों को संस्थान से ले जाने संबंधित सभी खर्च स्वयं बोलीदाता को वहन करना होगा।
6. नीलामी की सामग्रियों को संस्थान परिसर से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे होगी, नीलामी सामग्रियों को परिसर से बाहर ले जाने हेतु गेटपास आवश्यक होगा।
7. सामग्रियों के परिवहन के दौरान यदि संस्थान की किसी संपत्ति को नुकसान होता है तो उक्त नुकसान की भरपाई बोलीदाता द्वारा वहीं किया जाएगा।
8. संस्थान के पास पूर्ण अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी अथवा सभी निविदा व बोली को बिना कारण बताए स्वीकार करे अथवा न करे।
9. नीलामी के दौरान किसी विवाद के संबंध में संस्थान के प्राचार्य का निर्णय सभी निविदाकारों को सामान्य रूप से मान्य होगा।

प्राचार्य

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय चोपन
प्राचार्य/Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय/ PM SHRI Kendriya Vidyalaya
चोपन, सोनभद्र/Chopan, Sonbhadra

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति को सूचनार्थ।
2. संभागीय उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग को सूचनार्थ।
3. सभी प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय वाराणसी संभाग को सूचनार्थ।
4. विद्यालय के सूचना पट्ट।
5. विद्यालय वेबसाइट।